उप विकास आयुक्त का कार्यालय, गिरिडीह।
(जिला ग्रामीण विकास अभिकरण)

Phone No.- 06532-222572, Email ID- (drdagiridih@yahoo.co.in)

अतिअल्पकालीन पुनर्निविदा सूचना

विशेष कार्य पदाधिकारी,ग्रामीण विकास विभाग,झारखण्ड सरकार,रॉची के पत्रांक- (N) 398 दिनांक–28.04.2020 एवं पत्रांक (N) 1720 दिनांक– 18.06.2018 के आलोक में मनरेगा अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत् बागवानी हेतु दिनांक 01.06.2020 (PR-228795) को प्रकाशित निविदा में क्रमांक–15 पर Polythene for Jalkund-250 Micron thick UV Stabilized Black Polythene sheet- in kg इच्छुक निर्माताओं /आपूर्तिकर्ताओं से उक्त सामग्री का मुहरबंद पुनः निविदा आमंत्रित की जाती है।

नोटः– (1) निविदा की सामग्री, नियम एवं शर्त्तों की विवरणी गिरिडीह के वेबसाइट www.giridih.nic.in से एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,गिरिडीह से प्राप्त किया जा सकता है ।

(2) निविदा तिथि 18.01.2021 के अपराहन् 2:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष (जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कोर्ट रोड, जिला परिषद् परिसर, गिरिडीह) में जमा हो सकेगा। विलम्ब से प्राप्त निविदा को खोला नहीं जाएगा। निविदा उसी दिन अपराहन 02:30 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोल कर निष्पादित किया जाएगा।

नियम एवं शर्त्तें :–

1. अंतिम तिथि 18.01.2021 को 2:00 बजे तक प्राप्त निविदाएं अपराहन् 2:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
2. निविदा द्विलिफाफा प्रणाली (Double Envelop System) के अनुसार डाली जाय ।
3. एक लिफाफे पर "तकनीकी बीड" लिख कर उसमें मांगे गये सारे कागजात और प्रमाण पत्र, अग्रधन राशि का ड्राफ्ट रखकर मुहरबंद करेंगे एवं उस पर नाम एवं पता लिखेंगे ।
4. दूसरे लिफाफे पर वित्तीय बीड अंकित करेंगे। इस लिफाफे में केवल सामग्री का इकाई दर अंकित कर मुहरबंद करेंगे। लिफाफे पर नाम एवं पता अंकित करेंगे ।
5. तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड दोनों मुहरबंद लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में डालकर बंद करेंगे और उस पर नाम, पता एवं दूरभाष संख्या अंकित कर उप विकास आयुक्त, गिरिडीह अंकित कर कार्यालय में जमा करेंगे। निविदा निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से भी उप विकास आयुक्त, गिरिडीह को भेज सकते है। बशर्ते कि निर्धारित तिथि एवं अवधि तक प्राप्त हो जाय। विलम्ब होने पर प्राप्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।

आवश्यक कागजात जिसे तकनीकी बीड के लिफाफे में जमा करना अनिवार्य है–

1. GST निबंधन प्रमाण पत्र तथा नवम्बर, 2020 का रिटर्न अध्यतन (GST R-3B) की प्रति ।
2. वित्तीय वर्ष 2019–20 का आयकर रिटर्न की प्रति ।
3. अग्रधन के रूप में 10,000.00 (दस हजार) रूपया का बैंक ड्राफ्ट, जो उप विकास आयुक्त, गिरिडीह के पदनाम से भुगतेय होगा। बैंक ड्राफ्ट नहीं होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. निविदादाता द्वारा निविदा की वस्तु का सैंपल जमा करना होगा, जो निविदा में दिये गये मानक के अनुरूप पाये जाने पर ही भुगतान किया जायेगा। अमानक होने पर उत्पाद की क्षतिपूर्ति का भरपाई भी आपूर्तिकर्त्ता को करना होगा।

5. जिन निविदादाताओं को तकनीकी रूप से योग्य पाया जाएगा, उन्हीं का वित्तीय बीड खोला जाएगा।
6. निविदादाता को काली सूची में नहीं होने का शपथ पत्र देना होगा।
7. आपूर्तिकर्त्ता को किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
8. जिन निविदादाताओं की निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी, अग्रधन के रूप में जमा ड्राफ्ट वापस कर दिया जाएगा।
9. कार्य स्थल तक सामग्री की आपूर्ति हेतु परिवहन, हथालन सहित सभी प्रकार के व्यय /कर को सम्मिलित कर दर अंकित करना अनिवार्य होगा।
10. निविदा को पूर्णतः/अंशतः स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने, रद्द करने अथवा कार्य आदेश का निविदादाताओं के बीच विभाजित करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास होगा।
11. प्रकाशित निविदा (NIT) में मांगे गये सभी दस्तावेज की प्रति जमा करना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की छूट या विकल्प मान्य होगा।
12. नियम एवं शर्त्तें की विवरणी गिरिडीह के वेबसाइट www.giridih.nic.in में देखा जा सकता है।
13. निविदा से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह के मनरेगा कोषांग में सम्पर्क किया जा सकता है।

08/01/21

वरीय लेखा पदाधिकारी, डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह।	निदेशक, डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह।	उप विकास आयुक्त–सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक, गिरिडीह।

ज्ञापांक......62....../अभि0, गिरिडीह दिनांक......8/1/2021

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि www.giridih.nic.in website पर Upload करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः– उपायुक्त, गिरिडीह को सूचनार्थ समर्पित।

08/01/21

वरीय लेखा पदाधिकारी, डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह।	निदेशक, डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह।	उप विकास आयुक्त–सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक, गिरिडीह।